

**बिहार सरकार**  
**ऊर्जा विभाग**

पत्रांक:-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-०१/२०१७

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:** साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन मसौढ़ी, बाढ़, फतुहा, डेहरी-ऑन-सोन एवं शेरघाटी में प्रमण्डलीय भवन के निर्माण हेतु ९.०० (नौ) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में शेष राशि ६.०० (छः) करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

**आदेश:** स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-६४१ दिनांक २३.०२.२०१७ के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन मसौढ़ी, बाढ़, फतुहा, डेहरी-ऑन-सोन एवं शेरघाटी में प्रमण्डलीय भवन के निर्माण हेतु ९.०० (नौ) करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में ३.०० (तीन) करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त शेष राशि ६.००(छः) करोड़ रुपये की मांग की गई है।

२. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन मसौढ़ी, बाढ़, फतुहा, डेहरी-ऑन-सोन एवं शेरघाटी में प्रमण्डलीय भवन के निर्माण हेतु ९.०० (नौ) करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में शेष राशि ६.०० (छः) करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३. उक्त राशि मुख्य शीर्ष ४८०१-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-०५ संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-०१०२- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, माँग सं०-१०, विपत्र कोड-१०-४८०१०५७८९०१०२ विषय शीर्ष ५४०१-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

४. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष ८४४८- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-१२०-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-००४७- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L८४४८००१२०००४७ एवं प्राप्तियाँ-K-८४४८००१२०००४७ में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-01/2017 के पृष्ठ संख्या-05/टि० पर दिनांक-16.02.2017 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-01/2017 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-01.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-01/2017

दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-01/2017 720

दिनांक- 07/03/2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।